

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, नागौर

क्रमांक: 0000942

दिनांक: 08/05/2025

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2080/NAG/0009471

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2080 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6034730 दिनांक 11.03.2024 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2080 (खरीफ -2024) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलों हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
देह	137	SMF	50%-75%	1643299
संजू	1384	SMF	50%-75%	18158338
योग	1521			19801637

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष में कृषकों हेतु 2245-02-114-(09)-[01]-12 बजट मद पर भारित होगी ।

जिला कलेक्टर,
नागौर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त,
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
6. अति. जिला कलेक्टर.....
7. तहसीलदार
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
नागौर

Signature valid

Digitally signed by Arun Kumar
Purohit
Date: 2025.05.08 10:00:32 IST
Reason: SelfAttested



फसल खरीफ सम्वत् 2080 में बाढ़ से फसल खराबा लघु एवं सीमान्त काश्तकार

मद/गतिविधि के लिये सम्वत्/अवधि में लाभार्थियों की कुल संख्या (7-डी के अनुसार संख्या एवं राशि		मद/गतिविधि में पूर्व में स्वीकृत उक्त पात्र लाभार्थियों		मद/गतिविधि में इस स्वीकृति में लाभार्थियों की		मद/गतिविधि में अवशेष लाभार्थियों की	
संख्या	राशि रु	संख्या	राशि रु	संख्या	राशि रु	संख्या	राशि रु
1		2	3	4	5	6	7
47868	534667000	13297	151445969	1521	19801637	33050	363419394

उक्त सम्वत् में जैसे-जैसे संबंधित तहसीलदारों से काश्तकारों का डाटा डीएमआईएस पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त हुआ वैसे-वैसे बजट की ऑनलाईन डिमाण्ड प्रेषित की गई। डीएमआईएस पोर्टल पर डाटा प्राप्त होते ही त्वरित प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर बजट की मांग कर दी जाती है। कार्यालय स्तर पर कोई भी विलम्ब नहीं किया जाता।

3-
जिला फलिवटर
नागौर

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) नागौर

क्रमांक:- सहायता/लेखा/2025/ 346

दिनांक:- 8/5/2025

प्रेषित:-

संयुक्त शासन सचिव
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान-जयपुर

विषय:- बजट आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- आपके कार्यालय के पत्रांक एफ.2(9)आप्रएवंसहा/लेखा/बजट/2025-26/ राजकाज
14545448 दिनांक 03.04.2025 के संदर्भ में।

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि डीएमआईएस पोर्टल के माध्यम से वित्त वर्ष 2025-26 में डीएमआईएस पोर्टल के माध्यम से निम्नानुसार बजट की ऑनलाईन मांग की गई है।

क्र.सं.	फसल	संवत्	आपदा का प्रकार	काशतकारों की संख्या	राशि	प्रशासनिक स्वीकृति संख्या/दिनांक
1	खरीफ	2080	बाढ़	1521	19801637	AS/AGRI/2080/NAG/0009471/08.05.2025
2	खरीफ	2080	बाढ़	559	121272541	AS/AGRI/2080/NAG/0009472/08.05.2025
3	रबी	2079	औलावृष्टि	3276	52862379	AS/AGRI/2079/NAG/0009456/02.05.2025
4	रबी	2079	औलावृष्टि	5	170000	AS/AGRI/2079/NAG/0009470/08.05.2025
5	रबी	2079	औलावृष्टि	12	258689	AS/AGRI/2079/NAG/0009469/08.05.2025
6	रबी	2079	शीतलहर	7	97591	AS/AGRI/2079/NAG/0009453/02.05.2025
7	रबी	2079	शीतलहर	2	53890	AS/AGRI/2079/NAG/0009452/02.05.2025
8	रबी	2079	शीतलहर	60	2040000	AS/AGRI/2079/NAG/0009455/02.05.2025
9	रबी	2079	शीतलहर	127	4288167	AS/AGRI/2079/NAG/0009454/02.05.2025

उक्त संवत्तों में जैसे-जैसे पटवारियों द्वारा डाटा डीएमआईएस पोर्टल पर ऑनलाईन वैसे ही संबंधित तहसीलदारों द्वारा डाटा को वैरीफाई कर कार्यालय हाजा को भिजवाया गया। कार्यालय हाजा द्वारा डाटा की जांच कर डाटा वैरीफाई कर प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाकर बजट की मांग की गई।

अतः कार्यालय हाजा द्वारा की गई उक्त बजट मांगों के विरुद्ध बजट आवंटित कराने का श्रम करावें, ताकि प्रभावित काशतकारों को आदान-अनुदान वितरण किया जा सके।

भवदीय

(अरुण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर (सहायता)
नागौर

फसल खरीफ सम्वत् 2080 में बाढ़ से फसल खराबा लघु एवं सीमान्त काश्तकार

Type of Farmers	मद/गतिविधि के लिये सम्वत्/अवधि में लाभार्थियों की कुल संख्या (7-डी के अनुसार संख्या एवं राशि		मद/गतिविधि में पूर्व में स्वीकृत उक्त पात्र लाभार्थियों		मद/गतिविधि में इस स्वीकृति में लाभार्थियों की		मद/गतिविधि में अवशेष लाभार्थियों की	
	संख्या	राशि रु	संख्या	राशि रु	संख्या	राशि रु	संख्या	राशि रु
	1		2	3	4	5	6	7
SMF	47868	534667000	13297	151445969	1521	19801637	33050	363419394
OSMF	24247	463488000	11748	230874863	559	11272541	11940	221340596
Total	72115	998155000	25045	382320832	2080	31074178	44990	584759990

उक्त सम्वत् में जैसे-जैसे संबंधित तहसीलदारों से काश्तकारों का डाटा डीएमआईएस पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त हुआ वैसे-वैसे बजट की ऑनलाईन डिमांड प्रेषित की गई। डीएमआईएस पोर्टल पर डाटा प्राप्त होते ही त्वरित प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर बजट की मांग कर दी जाती है। कार्यालय स्तर पर कोई भी विलम्ब नहीं किया जाता।

जिला कलेक्टर
नागौर